Aayushi International Interdisciplinary Research Journal (AIIRJ)
Vol - V Issue-XI NOVEMBER 2018 ISSN 2349-638x Impact Factor 4.574

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में जल की कमी की समस्या का विश्लेषण

डॉ. रणधीर सिंह
व्याख्याता (अर्थशास्त्र)

१.भौगोलिक परिस्थितियों की प्रतिकूलता

अध्ययन क्षेत्र में वर्षा का कम होना, ग्रीष्म व शीत ऋतु के ताप परिसर में अत्यधिक अन्तर, भूमिगत जल का अभाव एवं जल स्तर का नीचा होना, धरातल की विषमता, मिट्टी में क्षारीय एवं लवणीय अंशों की अधिकता आदि भौगोलिक परिस्थितियां अवरोध स्वरुप विद्यमान है। अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई साधनों की पर्याप्त सुविधाओं के अभाव के कारण पड़त भूमि एवं कृषि अयोग्य भूमि क्षेत्रफल की अधिकता है।

२.कृषि का वर्षा पर आश्रित होना

अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विकास होने के बावजूद भी कृषि कार्य वर्षा पर ही आश्रित है, क्योंकि वर्षा की मात्रा पर ही सिंचाई का विकास आधारित है। वर्षा का वितरण एवं मात्रा भी अनिश्चित एवं अनियमित है। वर्षा होने पर ही फसल उत्पादन सम्भव है, वर्षा न होने की स्थिति में सिंचाई साधनों के समुचित विकास के अभाव में जिले में अकाल की स्थिति भी पैदा हो जाती है।

३.सिंचाई साधनों का अभाव

अध्ययन क्षेत्र में नहरें सिंचाई के प्रमुख साधन है, लेकिन क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का अभाव है।

पानी की उपयुक्त मात्रा से ही उन्नत बीज, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक औषधियों का उपयोग सम्भव है। सिंचाई के अभाव में व्यापारिक फसलों का उत्पादन कम हो पाता है।

४.किसानों की निरक्षरता

जिले में एक तिहाई जनसंख्या निरक्षर है। किसान निरक्षर होने के कारण कृषि आधुनिकीकरण हेतु उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाता है। दूसरी ओर अशिक्षित किसान को कृषि आधुनिकीकरण में सहायक नई वैज्ञानिक तकनीकियों की भी कम जानकारी होती है, इसलिये निरक्षरता भी कृषि आधुनिकीकरण में एक बाधक तत्व है।

शिक्षा के प्रति रुचि व जागरुकता लाने के विभिन्न मनोरंजन एवं क्षेत्रीय वातावरण के अनुरुप कार्यक्रमों को अपनाना चाहिए। इस कार्य के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से किसान साक्षर होने की वजह से कृषि आधुनिकीकरण के लिए आधारभूत सुविधाओं को अधिक उपयोग में ले सकेगा और कृषि उत्पादन अधिक प्राप्त कर सकेगा। साक्षरता बढ़ाने के लिए सरकार को शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना चाहिए।

५.कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक भार

जिले की जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना से ज्ञात होता है कि क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या अपनी आजीविका हेतु कृषि पर निर्भर है। जनसंख्या वृद्धि के साथ–साथ कृषि भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ रहा है और भूमि के उपविभाजन एवं उपखण्डन से विस्तृत पैमाने की खेती असम्भव है। जनसंख्या भार के कारण ही जिले में कृषि जोत का आकार घटता जा रहा है। कृषि जोत का आकार छोटा होने के कारण कृषि में मशीनीकरण का उपयोग अधिक लाभप्रद नहीं हो पाता है।

सरकार द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रमों द्वारा आवश्यक सुझाव प्रदान करने चाहिए। लोगों को जीविकोपार्जन के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग खुलवाने चाहिए, जिससे कृषि

भूमि पर जनसंख्या भार कम हो। लोगों को लघु एवं कुटीर उद्योग खोलने के लिए सरकार को ऋण की सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए।

६.जोतों का छोटा आकार

जोत का आकार छोटा होने के कारण कृषि में मशीनीकरण का उपयोग लाभप्रद नहीं हो पाता है। इसके लिये सरकार को जिले में चकबन्दी करवानी चाहिए। ग्रामीण लोगों को चकबन्दी से होने वाले लाभों को समझाना चाहिए जिससे कृषक बड़े फार्म पर कृषि मशीनों का उपयोग कर सके।

७.कुटीर एवं ग्रामोद्योगों का विकास

जिले में गत दशक में कार्यशील जनसंख्या में कमी आई है जो कि ग्रामीण बेरोजगारी का संकेत है। साथ ही मानसून के विफल हो जाने पर ग्रामीण कृषक बेरोजगार हो जाता है और रोजगार की तलाश में दर–दर भटकता है। इसलिए ग्रामीण बेरोजगारी एवं मौसमी बेरोजगारी से निजात पाने के लिए कुटीर एवं ग्रामोद्योग प्रमुख आधार है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत पारिवारिक एवं कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। इसके लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से कुटीर उद्योग सहकारी समितियों की स्थापना की जानी चाहिए।

८.क्षारीय व लवणीय मिट्टी क्षेत्रों में जिप्सम की रियायत दर पर अनुपलब्धता

सरकार कृषि विस्तार कार्यक्रम पर बहुत खर्च करती है लेकिन ग्रामीण किसानों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता है, इसलिये सरकार को कृषि विस्तार कार्यक्रम को सुव्यवस्थित करना चाहिए। सरकार की तरफ से क्षारीय व लवणीय मिट्टी क्षेत्रों में जिप्सम रियायत दर पर उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है, लेकिन क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान अवगत हुआ कि जिप्सम रियायत दर पर बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं हो पाती है।

अतः सरकार को रियायत दर पर किसानों को जिप्सम उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

९.क्षारीय व लवणीय क्षेत्रों में लवण सहन करने वाली फसलों को प्रोत्साहित करना

जिले के लवणीय व क्षारीय क्षेत्रों में पौधों की अंकुरण वृद्धि ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है, इसलिए लवणीय व क्षारीयता को सहन करने वाली फसलों की बुवाई के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लवण सहन करने वाली फसलों में – जौ, सरसों, गेहूँ, तारामीरा इत्यादि है। इन क्षेत्रों में लवण प्रतिरोधी फसलों की किस्मों की बुवाई के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

१०.कृषि यंत्र एवं औजारों के लिए बचत समितियां

यद्यपि जिले में कृषि यंत्र एवं औजारों में काफी वृद्धि हुई है लेकिन क्षेत्र सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक आंकड़ों से स्पष्ट हुआ है कि अधिकांश कृषि यंत्र एवं औजार सम्पन्न एवं बड़ी जोत वाले कृषकों के पास थे। इसलिए लघु निर्धन कृषकों को कृषि यंत्र खरीदने हेतु उदार शर्तों पर ऋण उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। प्रत्येक तहसील स्तर पर एक सहकारी सेवा केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए जहां सभी प्रकार के कृषि यंत्र एवं औजार उपलब्ध हो।

११.आर्थिक, राजनीतिक एवं पक्षपातपूर्ण रवैया

आधुनिक कृषि यंत्र एवं सिंचाई के साधन जुटाने के लिए काफी वित्त की आवश्यकता होती है जो गरीब किसान के लिए असम्भव है। इस समस्या का निराकरण ऋण के माध्यम से ही हो सकता है, परन्तु ऋण प्रावधान की जटिलताओं एवं भ्रष्टाचार के कारण जिले के कृषकों को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। सरकार को कृषि यन्त्र एवं औजार खरीदने के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए। भूमि विकास बैंक द्वारा किसानों को उपरोक्त साधन जुटाने के लिए ऋण एवं सहायता दोनों प्रदान करनी चाहिए।

१२.उन्नत किस्म के बीजों व उर्वरकों के वितरण की उचित व्यवस्था

जिले में कृषि विकास तीव्र गति से हो रहा है। गत दशक में उन्नत किस्म के बीजों से ४ गुना से अधिक एवं रासायनिक उर्वरकों में ६ गुना वृद्धि हुई है। कई तहसीलों में कृषि पर्यवेक्षक कभी नहीं पहुंचते हैं। कृषक बिना कृषि पर्यवेक्षक की सलाह—मशविरा के उन्नत बीजों एवं उर्वरकों का उपयोग करते हैं। अतः राज्य सरकार को फसल बुवाई से पूर्व उन्नत बीजों व उर्वरकों के बारे में समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए एवं इन आदानों के वितरण प्रणाली में सुधार किया जाना आवश्यक है।

१३.कृषि आधुनिकीकरण के लिए ऋण उपलब्ध करवाना

जिले में कृषकों को आधुनिक कृषि यन्त्र खरीदने के लिए रियायती दर पर सरकार को ऋण उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, जिससे इन क्षेत्रों में कृषि आधुनिकीकरण बढ़ सकेगा।

१४.समय—समय पर पानी के लिए होने वाले आन्दोलन

अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल की भारी मांग को लेकर समय—समय पर आन्दोलन होते रहे है, जिसका स्पष्ट उदाहरण इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के किसानों द्वारा २००६ में किया गया आन्दोलन है, जिसे घड़साना आन्दोलन के नाम से जाना जाता है। इसके साथ—साथ पानी की बारी को लेकर आपसी संघर्ष होना भी आम बात है, जिसका उदाहरण विभिन्न अदालतों में लम्बित मामलों की संख्या है।

नहरों के रख—रखाव व सफाई के लिए ली जाने वाली नहरबंदी के दौरान उपरोक्त समस्याओं का चरम रूप देखने को मिलता है।

अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई के विकास हेतु सुझाव

१. उपलब्ध जल का सर्वाधिक संरक्षण आवश्यक है।
२. भू—जल का उपयोग पूरी सतर्कता से होना चाहिए।
३. बेसिन (एक नदी घाटी का जल क्षेत्र) आधार पर जल के सम्बंध में सघन नियोजन किया जाना चाहिए।
४. आधुनिक तकनीकी विधियों को प्रयुक्त कर जल रिसाव व वाष्पायन से होने वाली जल क्षति को घटाना।
५. प्रति हैक्टेयर उत्पादन वृद्धि हेतु फसलों को आवश्यकतानुसार जल उपलब्ध करवाना।
६. फव्वारा—सिंचाई व बूंद—बूंद सिंचाई की विधियों का उपयोग कर जल की बचत करना।
७. भू—जल व सतही जल का मिला—जुला उपयोग करना।
८. जल मार्गों व खेत की नालियों की लाइनिंग के कार्यों को प्राथमिकता से करना।
९. चालू परियोजनाओं पर अधिक ध्यान देना ताकि उनसे प्रतिफल प्राप्त होने लगे।
१०. नई योजनाओं को चयनित आधार पर ही स्वीकार करना चाहिए।
११. पूर्व में सृजित सिंचाई की संभाव्यता के उपयोग पर शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिए।
१२. परियोजनाओं के रख—रखाव को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि उचित संरक्षण सम्भव हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची

१. बालकराम एवम् चौहान, जे.एस. (२००२) : 'इम्पैक्ट एसेसमेन्ट ऑफ इन्दिरा गांधी नहर परियोजना कैनाल ऑफ लैण्ड यूज इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रीक्ट, राजस्थान यूजिंग रिमोटली सेन्सड डाटा'
२. भार्गव कैलाश एवं गर्ग अतुल के. (२००१): ''सिंचित क्षेत्र में पानी एवं भूमि का प्रबन्धन'' हिंमाशु पब्लिकेशन, उदयपुर, दिल्ली।

३. जिला सांख्यिकीय रुपरेखा (१९९५–२०१५) : डिस्ट्रिक्ट स्टेटिस्टीकल एब्सट्रेक्ट, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

४. गुप्ता, बी.एल. (१९९०) : जयपुर जिले के पूर्वी भाग में कृषि आधुनिकीकरण, एम.फिल. थीसीस, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

५. गुर्जर, आर.के. (१९९९) : ''इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र भूगोल'', राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com